जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (आई. एंड एस.)

क्रमांक: जे.पी.ड़ी./ अधी. अभि(आई. एंड एस.)/ . /प्र:705 दिनाक: 12.9.2014

परिपत्र

यह देखने में आया है की अधीनस्थ वृत भंडारों / उपभंडारों मे विभिन्न सामानों एवं उपकरणों का रख रखाव सुनियोजित तरीके से नहीं किया जा रहा है । परिणामस्वरूप भंडारों में रिसाव एवं चोरी की घटनाएँ प्रकाश में आयी है । ऐसी घटनाओं से जहाँ एक और निगम को आर्थिक हानि अनावश्यक रूप से वहन करनी होती है एवं वहीं दूसरी ओर निगम की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । ऐसी घटनाओ की पुनरावृत्ति न हो एवं निगम के सभी भंडार प्रभावी ढंग से कार्य संपादन कर सके इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी सहायक भंडार नियंत्रक / भंडार अधीक्षक निम्न अनुदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करे:-

१. उपलब्ध सामान के अनुसार, यथा संभव, एक प्रकार का सामान एक ही स्थान पर पास पास रखे ।

२. स्टील के सामानों यथा सब-स्टेशन स्ट्रक्चर सेट, जी.आई. वायर इत्यादि वृत भंडार में सप्लाई होने पर अविलम्भ उनकी स्टैकिंग सुनिश्चित करे ताकि उन्हे इश्यू करने में / गिनती करने में / भौतिक सत्यापन में असुविधा न हो |

३. मीटर्स,एल.टी.सी.टी., मैगर,तांबा स्क्रैप इत्यादि छोटे एवं महँगे सामान इंडोर वार्ड में सुनियोजित तरीके से रखा जाना हर हाल में सुनियोजित करे|

४. सामानों को " फीफो पद्धति" { फर्स्ट इन फर्स्ट आउट} से ही उपखण्डों को इश्यू करे | विशेष रूप से ऐसे सामानों/ उपकरणों को जिनकी एक निश्चित अवधि की गारंटी होती है |

५. गारंटी अवधि पर सामानों यथा ट्रांसफार्मरस /सी. टी. पी. टी. सेट, मीटर इत्यादि का रिकॉर्ड यथा संभव टी. एन. / फर्म /मैन्युफैक्चरिंग वर्ष / क्षमता इत्यादि के अनुसार ही तैयार किया जावे तथा उनके लोड/स्टैकिंग भी तदनुसार ही करवाई जाना सुनिश्चित करे |

६. सभी आउटडोर /इंडोर वार्ड की उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की जावे| निम्न व्यवस्थाओ को अनवरत रूप से बनाये रखे :-

(i) भंडार की बाहरी दीवारों पर कांटेदार तारों की फैन्सिंग

(ii)भंडार परिसर /वार्डस में समुचित लाइटिंग

(iii)शिफ्ट के अनुसार चौकीदारों की लगातार २४ घंटे तैनाती |

(iv)सहायक भंडार नियंत्रक/ भंडार अधीक्षक द्वारा वृत भंडार /उप भंडार के वार्डस एवं परिसर का समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं पाई गई खामियों का तुरंत निस्तारण | माह में कम से कम दो आकस्मिक निरीक्षण अवकाश दिवसों में / रात्रि में करने का प्रयास करे ताकि चौकीदारों की ड्यूटी पर तैनाती /लाइटिंग /सुरक्षा कार्मिको की खामियों इत्यादि की उचित जानकारी हो सके |

(v)यथा संभव दिन में एक बार वार्डस का निरीक्षण अवश्य करे |

७. उपखण्डों से आवश्यक दस्तावेजो के साथ ही स्क्रैप इत्यादि सामान स्वीकार किया जावे| बिना दस्तावेज के कोई सामान व्रत भंडार परिसर में खाली नहीं कराया जावे|

८. अवांछित व्यक्तियों /वाहनो को भंडार परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावे |

९. संदिग्ध गतिविधियों /कर्मचारियों पर नजर रखे एवं समय पर कार्यवाही करे | आवश्यक जानकारी वृत अधीक्षण अभियंता(I&S) एवं अधीक्षण अभियंता (O&M)को उचित कार्यवाही हेतु तुरंत करे |

१०. कार्यालय समय के उपरान्त विशेष परिस्थतियों को छोड़ँ सामान प्राप्ति /इशू की गतिविधियाँ नहीं की जावे |

११. समस्त वार्ड कीपर को पाबंध किया जावे की वे नियमित रूप से उनके वार्ड से संबंधित सामानो / लॉट्स इत्यादि पर नजर रखे एवं COS- 12 की मात्रा का भौतिक रूप से मिलान करे |

१२. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि ऐसे उपकरण /सामान जो कि आसानी से आग पकड़ सकते है जैसे ट्रांसफार्मर आयल, ट्रांसफार्मर, केबिल, सी0टी0 पी0टी0 सैट इत्यादि, इन्हे हर हाल में भण्डार परिसर से गुजर रही विधुत लाईन के नीचे या आसपास नहीं रखा जावे। साथ ही यदि कोई विधुत लाइन भंडार परिसर से गुजर रही है जिससे घातक दुर्घटना का अंदेशा हो, उसे हटवाने हेतु प्रस्ताव आवश्यक रुप से अधीक्षण अभियन्ता(पवस) एवं इस कार्यालय को भिजवाये ।

१३. यह सुनिश्चित करे की वार्ड परिसर के पास में बाहर या वार्ड परिसर में अंदर किसी भी प्रकार के कचरे के ढ़ेर नहीं हो |

१४. आपात परिस्थितयो का सामना करने के लिये माकूल फायर फाइटिंग व्यवस्था एवं पानी को भण्डारण इत्यादि आवश्यक रूप से बनाए रखे | विशेष रूप से दीपावली पर्व के दिनों में तथा भीषण गर्मी में |

उकत दिशा निर्देशो की सख्ती से पालना की जावें |

12/9/2014

(के. जी. कांवत)

अधीक्षण अभियंता (आई. एंड एस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /पालनार्थ हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है।

1– श्रीमान् निदेशक(तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2– श्रीमान् मुख्य अभियन्ता(पदार्थ प्रबन्धन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
3– अधीक्षण अभियन्ता(पवस), जयपुर डिस्कॉम, ----------
4– सहायक भण्डार नियन्त्रक(ज0न0वृत)/(ज0जि0वृत), जयपुर/कोटा/टोंक/ धौलपुर/ अलवर/भरतपुर/बारन/बूंदी/हिडोंन सिटी/सवाईमाधोपुर/झालावाड़ (झालरापाटन) दौसा / बहरोड़

12/9/2014

अधीक्षण अभियंता (आई. एंड एस)